भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1378

उत्तर देने की तारीख 08 दिसंबर, 2025

सोमवार, 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

कौशल भारत मिशन

1378. श्री नारायणदास अहिरवारः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के कौशल को बढ़ाने के लिए अब तक कोई अभियान और कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश में 30 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था;

(ग) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत अब तक कुल कितने लोगों को प्रशिक्षित और नामांकित किया गया है; और

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने या स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन या सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत वर्ष 2015 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के कौशल और नियोजनीयता को बढ़ाया जा सके। ये पहल सामूहिक रूप से एनएसक्यूएफ-संरेखित कौशल, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, सॉफ्ट स्किल और उद्यमशीलता को बढ़ावा देती हैं, और 'कौशल भारत' के बैनर तले बड़े पैमाने पर एकजुटता और जागरूकता अभियानों द्वारा समर्थित हैं, जिसमें रोज़गार मेले, शिक्षुता अभियान और स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) के माध्यम से डिजिटल आउटरीच शामिल हैं।

एसआईएम के शुरुआत के बाद से कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। इस मिशन के तहत, वर्ष 2015-16 में शुरू की गई पीएमकेवीवाई योजना ने 1.64 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और प्रमाण पत्र दिए गए है (दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 तक)। एनएपीएस के तहत, 2016-17 से वित्त वर्ष 2025-26 (31 अक्टूबर, 2025 तक) तक 49.12 लाख शिक्षुओं को नियुक्त किया गया है। आईटीआई की संख्या 2014 में 9,776 से बढ़कर वर्तमान में 14,682 हो गई है। मंत्रिमंडल ने उन्नत आईटीआई (पीएम सेतु) योजना के माध्यम से प्रधान मंत्री कौशलीकरण और नियोजनीयता को भी अनुमोदित कर दिया है, जिसका अनुमानित परिव्यय पांच वर्षों की अवधि में ₹60,000 करोड़ है इन सामूहिक प्रयासों के कारण, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित 15-29 आयु वर्ग के युवाओं का प्रतिशत 2017-18 में 7.1% से बढ़कर 2023-24 में 26.1% हो गया है।

(ग) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर 31 अक्टूबर, 2025 तक नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या 17,611,055 है, तथा इसी अवधि के दौरान प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 16,433,033 है।

(घ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) देश भर के युवाओं को लघु अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनः कौशल प्रदान करने के लिए पीएमकेवीवाई योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित करके रोजगार के अवसरों तक पहुंचने के लिए उनकी नियोजनीयता को बढ़ाना है।

वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत, लागू किए गए पहले तीन संस्करणों में पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 के अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के तहत नियोजन को ट्रैक किया गया। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उचित मार्गदर्शन और अभिविन्यास प्रदान करके विविध करियर पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाने पर ज़ोर दिया गया। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, विशेष समूहों–जिनमें महिलाएँ और दिव्यांगजन (पीडबल्यूडी) शामिल हैं–के साथ-साथ विशेष क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को, इन क्षेत्रों के भीतर और बाहर आयोजित प्रशिक्षण के लिए, सामान्य लागत मानदंडों के अनुसार, आवास, भोजन और परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है। विशेष समूहों के लिए परिवहन सुविधा गैर-आवासीय प्रशिक्षण के मामले में भी स्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायक उपकरण और सहायक उपकरण खरीदने, कौशल प्रशिक्षण में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने और बाद में उनके अवसरों और लाभकारी वेतन एवं स्वरोज़गार तक उनकी पहुँच बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिव्यांगजन अभ्यर्थी को 5,000 रुपए तक की विशेष सहायता प्रदान की जाती है।

*****